भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2128

उत्तर देने की तारीख 09 दिसंबर, 2024
18 अग्रहायण, 1946 (शक)

आरईएसईटी कार्यक्रम

2128. श्री अनुराग शर्मा:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री तापिर गाव:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और झांसी जैसे क्षेत्रों सहित देश में खेलों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरईएसईटी) कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम से सेवानिवृत्त एथलीटों की नियोजनीयता में किस प्रकार वृद्धि होने और उनके कैरियर के विकास में सहायता मिलने की संभावना है;

(घ) इन भागीदारों को प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के किस प्रकार के अवसर प्रदान किए जाने की संभावना है और ये अवसर उनके प्रोफेशनल विकास में किस प्रकार योगदान देंगे; और

(ङ) इस योजना के कार्यान्वयन में किन-किन प्रमुख चुनौतियों का सामना किया जा रहा है और सरकार द्वारा इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ङ) : मंत्रालय ने 29.08.2024 को खेलों से सन्यास ले चुके खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण (आरईएसईटी) कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य सन्यास ले चुके खिलाड़ियों को उनके करियर विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें इंटर्नशिप के साथ उनकी शैक्षणिक वृद्धि के लिए तदनुकूल शिक्षा प्रदान करना और उन्हें उपयुक्त करिअर विकल्प के योग्य बनने हेतु आवश्यक ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाना है। आरईएसईटी कार्यक्रम का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में मौजूदा मानव संसाधन संबंधी कमियों को दूर करना भी है।

वे एथलीट, जो सक्रिय खेल करिअर से संन्यास ले चुके हैं और जिनकी उम्र 20-50 वर्ष के बीच है और जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता/अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग ले चुके हैं या राष्ट्रीय खेल परिसंघों/भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन/युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय पदक विजेता/राज्य पदक विजेता/प्रतिभागी रहे हैं, आरईएसईटी कार्यक्रम के अंतर्गत पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के पात्र हैं।

प्रारंभिक चरण में, सोलह पाठ्यक्रम/कार्यक्रम, अर्थात् स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट वेलनेस ट्रेनर, स्पोर्ट्स मास्सेयर, स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप, स्टोर मैनेजर, फिटनेस सेंटर मैनेजर, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर, योग प्रशिक्षक, स्थल पर्यवेक्षक, आत्मरक्षा प्रशिक्षक, सामुदायिक खेल प्रशिक्षक, कैम्पिंग और ट्रैकिंग गाइड और फेसिलिटी केयरटेकर को रीसेट कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

यह स्कीम हाल ही में शुरू की गई है। स्कीम के कार्यान्वयन में अब तक कोई संभावित चुनौती सामने नहीं आई है।

****